मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
07/26/18	08/13/21	3 वर्ष, 0 माह, 18 दिन

MACP No. 287 of 2018

पीठासीनः **श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.**

1. रूप सिंह पुत्र श्री मनीराम, आयु-35 वर्ष
2. निशान पुत्र श्री रूप सिंह, आयु-12 वर्ष (नाबालिग)
3. मयंक पुत्र श्री रूप सिंह, आयु-7 वर्ष (नाबालिग), समस्त नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री रूप सिंह, समस्त निवासीगण-ग्राम व पोस्ट पारीछा, थाना-बडागॉव, झाँसी

-----------**याचीगण**

प्रति

1. अमर सिंह पुत्र श्री छक्कीलाल, निवासी-228/56 T-2 पारीक्षा थर्मल पावर, प्रथम कालोनी, पार्ट-1, झाँसी **(पंजीकृत स्वामी व चालक मोटर साइकिल संख्या-UP93AU0795)**
2. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. जरिये शाखा प्रबन्धक, इलाइट सिनेमा के पास, सिविल लाइन्स, झाँसी (बीमाकर्ता मोटर साइकिल संख्या-**UP93AU0795)**

-------------**विपक्षीगण**

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री घनश्याम सिंह तोमर**
विपक्षी संख्या-दो के अधिवक्ता- **श्री शशि भूषण कनकने**

अधिनिर्णय

याचीगण की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध पृथक एवं संयुक्त रूप से धारा-163A मो. वा. अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहन दुर्घटना में श्रीमती दयावती की मृत्यु पर ₹21,00,000 प्रतिकर एवं उस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप मे प्रकरण यह है कि दिनाँक 30.03.2018 को समय करीब 7.00 बजे शाम जब याचीगण की पत्नी व माँ श्रीमती दयावती अपने चचिया ससुर विपक्षी संख्या-एक के साथ उनकी मोटर साइकिल संख्या-**UP93AU0795** पर बैठकर अपने खेत ग्राम मुराठा से मजदूरी करके घर पारीछा वापिस आ रही थी। मोटर साइकिल को अमर सिंह सावधानी पूर्वक धीमी गति से अपनी साइड पर चला रहे थे। जैसे ही मोटर साइकिल ग्राम मुराठा व महेवा के बीच लिंक रोड, थाना-चिरगांव पहुँची तभी सामद्वने से एक सफेद रंग की कार, जिस पर नम्बर नहीं पड़ा था, के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और सामने से मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल में बैठी श्रीमती दयावती नीचे गिर गयी और गम्भीर रूप से घायल हो गयी एवं विपक्षी संख्या-एक को साधारण चोटें आयीं। कथित घटना को पीछे आ रहे अरविन्द ने देखा तथा घायलों को उठाकर बैठाया तब तक मौका देखकर कार चालक कार लेकर मौके से भाग गया। कथित घटना में आहत श्रीमती दयावती को इलाज के लिए मेडिकल कालेज पहुँचाया गया परन्तु हालत खराब होने के कारण उसे ग्वालियर ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। कथित घटना की रिपोर्ट लिखाने याची संख्या-एक कई बार थाने गया परन्तु उसकी रिपोर्ट यह कहते हुये नहीं लिखी गयी कि पहले घटना कारित वाहन कार का नम्बर बताओ। जब पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तब याची ने कथित घटना की रिपोर्ट दिनाँक 29.6.2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजी। कथित घटना के समय श्रीमती दयावती 32 वर्षीय हृष्ट-पुष्ट महिला थी, जो घरेलू काम के अतिरिक्त खेतों में काम करती थी तथा जहां मिल जाये खेतों में मजदूरी करके प्रतिमाह ₹3,000 आय अर्जित कर लेती थी जिसे वह घर खर्च में इस्तेमाल करती थी परन्तु कथित घटना में असमायिक मृत्यु हो जाने के कारण याचीगण को अत्याधिक शारीरिक व मानसिक कष्ट सहना पडा एवं याची संख्या-एक अपने दाम्पत्य जीवन से हमेशा के लिए वंचित हो गया व याचीगण संख्या-दो व तीन अपनी माता के स्नेह प्यार से हमेशा के लिए वंचित हो गयी हैं। अतः याचीगण को विपक्षीगण से ₹21,00,000 तथा उस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज बतौर प्रतिकर दिलाया जाये।

3. **विपक्षी संख्या-एक अमर सिंह** की ओर से जवाबदावा 27B प्रस्तुत कर याचिका में वर्णित कथनों को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि कथित घटना के समय तथाकथित मोटर साइकिल चलाने का उसके पास वैध लाइसेंस था तथा उक्त मोटर साइकिल के समस्त कागजात वैध थे एवं मोटर साइकिल विपक्षी संख्या-तीन नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. से विधिवत रूप से बीमित थी। कथित घटना मात्र प्रश्नगत अज्ञात कार के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी जिसमें उसकी कोई योगदायी उपेक्षा नहीं रही है।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.13 11:03:57 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

4. **विपक्षी संख्या-दो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की ओर से जवाबदावा 25B दाखिल कर याचिका में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि याचीगण ने मात्र प्रतिकर पाने के आशय से मनगढन्त कहानी बनाते हुये गलत तथ्यों के आधार पर दुरभि सन्धि करते हुये वतर्मान याचिका प्रस्तुत की है। स्वयं याचीगण ने कथित घटना में तथाकथित मोटर साइकिल की कोई गल्ती नहीं बताई है इसलिए विपक्षी प्रतिकर अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है। कथित घटना के समय मृतका श्रीमती दयावती तथाकथित मोटर साइकिल पर नहीं बैठी थी। याचीगण ने कथित घटना की रिपोर्ट लिखाने का कोई प्रयास नहीं किया है बल्कि उक्त के सम्बन्ध में गलत कथन किये गये हैं। याचीगण ने अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतका की आयु कम और फर्जी रूप से उसकी आय दर्शित कर दी है जबकि उसकी आयु एवं आय के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। याचीगण ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन मोटर साइकिल के चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था। प्रश्नगत वाहन के स्वामी ने कथित घटना की सूचना विपक्षी बीमा कम्पनी को नहीं दी है न ही उसके समस्त कागजात सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये हैं।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किये गये-

1. क्या दिनाँक 30.03.2018 को समय करीब 7.00 बजे शाम जब याचीगण की पत्नी/माँ श्रीमती दयावती अपने चचिया ससुर विपक्षी संख्या-एक के साथ उनकी मोटर साइकिल नम्बर- UP93AU0795 पर पीछे बैठकर अपने घर पारीछा वापिस आ रही थी कि जैसे ही उक्त मोटर साइकिल ग्राम मुराठा व महेवा के बीच लिंक रोड वहद थाना-चिरगाँव पहुँची तभी सामने से एक सफेद रंग की कार जिस पर नम्बर नहीं पड़ा था, के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर सामने से मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे श्रीमती दयावती नीचे गिर गयी व दुर्घटना में आयी चोटों के कारण इलाज हेतु ग्वालियर अस्पतल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी ?

2. क्या बावक्त घटना उक्त मोटर साइकिल संख्या-UP93AU0795 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, यदि हाँ तो उसका प्रभाव ?

3. क्या बावक्त घटना उक्त मोटर साइकिल संख्या-UP93AU0795 विपक्षी संख्या-दो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा बीमित थी ?

4. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

6. **<u>याचीगण की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य</u>**

याचीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची-7C से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे गये रजि. पत्र व उसकी रजिस्ट्री रसीद, कथित मोटर साइकिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञा पत्र, बीमा पॉलिसी, आधार कार्ड याचीगण, राजाबेटी का पहचान पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, पुलिस को दी गयी सूचना की प्रति, नकल रपट, थाना- बडागांव की रिपोर्ट, जनरल डायरी, चालान लाश, नमूना लाश, फोटो लाश, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि की छाया प्रतियाँ, सूची-42C से प्रथम सूचना रिपोर्ट, अन्तिम रिपोर्ट, नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि की सत्यापित प्रतियाँ दाखिल की गयीं तथा मौखिक साक्ष्य में PW-1 याची संख्या-एक रूप सिंह, PW-2 अरविन्द को परीक्षित किया गया।

7. **<u>विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य</u>**

विपक्षी संख्या-एक अमर सिंह की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची-29C से कथित मोटर साइकिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञा पत्र, बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी तथा विपक्षी संख्या-दो बीमा कम्पनी की ओर से तथा कथित मोटरसाइकिल की बीमा पॉलिसी की प्रति दाखिल की गयी। विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया।

8. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन एवं मूल्याँकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

9. **<u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या-एक</u>**

याचिका में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिए याचीगण की ओर से PW-1 रूप सिंह को परीक्षित किया गया है, जिसे मृतका श्रीमती दयावती का पति होना कहा गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित कथित घटना के तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है तथा दुर्घटना में अपनी पत्नी को आयी गम्भीर चोटों के कारण इलाज के दौरान मेडिकल कालेज, झाँसी से ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु होना बताया है तथा कहा है कि मृत्यु की सूचना थाना व चौकी पर किये जाने पर उसका पोस्टमार्टम हुआ था। रिपोर्ट लिखाने जब वह थाने गया तो कहा गया कि अन्तिम संस्कार कर लो और कार का नम्बर लाओ तब रिपोर्ट लिखेंगे तब परेशान होने के बाद वह दिनाँक 29.5.2018 को पंजीकृत डाक से पुलिस विभाग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को सूचित किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कोई दुर्घटना नहीं देखी है। उसे घटना के बारे में उसके चाचा अमर सिंह, जो मोटर साइकिल चला रहे थे, ने बताया था। इस साक्षी से कथित घटना के तथ्यों के सम्बन्ध में विपक्षी

संख्या-दो की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पर इसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। कथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में याचीगण की ओर से प्रस्तुत अरविन्द PW-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना अपने समक्ष घटित होना बताते हुये कहा है कि घटना दिनाँक 30.3.2018 को समय 7.00 बजे शाम की है। वह मुराठा से पारीछा मोटर साइकिल से आ रहा था। उसके आगे उसके ताऊ अमर सिंह अपनी मोटर साइकिल नम्बर-**UP93AU0795** को चलाते हुये पारीछा की तरफ आ रहे थे। उनकी मोटर साइकिल पर पीछे दयावती बैठीं थी। जैसे ही उनकी मोटर साइकिल ग्राम मुराठा व महेबा के बीच लिंक रोड बाहर थाना-चिरगॉव पहुँची तभी सामने से एक सफेद रंग की मारुति कार, जिस पर नम्बर नहीं पड़ा था, के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके ताऊ अमर सिंह की मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल पर बैठी दयावती नीचे गिर गयी और गम्भीर रूप से घायल हो गयी। उसने राहगीरों की मदद से उन्हे मेडिकल कालेज में ले जाकर भर्ती कराया तथा कार चालक मौका पाकर घटना स्थल से भाग गया था। इस साक्षी से भी विपक्षी संख्या-दो की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी कथित घटना मात्र प्रश्नगत कार के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित होना बताया है। इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिससे इसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 43C-1/2 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त घटना की रिपोर्ट कथित घटना की दिनाँक 30.3.2018 के उपरान्त दिनाँक 25.9.2018 को थाना-चिरगॉव मे अ.सं. 231/18 धारा-279,338,304A IPC के अन्तर्गत अज्ञात चालक के विरुद्ध याची रूप सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को प्रेषित आवेदन पत्र के आधार पर अंकित की गयी है जिसमें स्पष्ट रूप से इसी तथ्य को अंकित किया गया है कि रूप सिंह वादी कथित घटना की रिपोर्ट लिखाने का समुचित प्रयास करता रहा परन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तब उसके द्वारा कथित घटना की सूचना जरिये पंजीकृत डाक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी थी। यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्याधिक विलम्ब हुआ है परन्तु उक्त विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही अंकित किया गया है फिर भी यह सुस्थापित विधि है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुये विलम्ब का प्रभाव मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि मात्र विलम्ब के आधार पर आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष प्राप्त कर लिया जाये कि याचिका झूठी गढ़ी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब मात्र एक संदेह ही उत्पन्न करवाता है। यह भी सुस्थापित विधि है कि आरोप पत्र से मात्र प्रथम दृष्टया ही मामला साबित होता है न कि निश्चयात्मक रूप से। प्रस्तुत मामले में दुर्घटना के प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त प्रश्नगत वाहन कार एवं उसके चालक का पता न लग पाने के कारण अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अन्तिम आख्या 44C-1/2 से होती है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मृतका श्रीमती दयावती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा दिनाँकित 31.03.2018, नकल रपट, थाना-बडागॉव द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु सी.एम.ओ. को प्रेषित पत्र एवं जनरल डायरी आदि की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कथित सड़क दुर्घटना की सूचना घटना के तत्काल बाद ही पुलिस का प्राप्त हो गयी थी और घटना में आयी गम्भीर चोटों से आहत श्रीमती दयावती की मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उसके शव का पंचनामा भरा गया जिसमे यह उल्लेख है कि सड़क दुर्घटना मे मृत्यु होना प्रतीत होता है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया है जिसमे सिर मे आयी चोटों के कारण मृत्यु होने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में यदि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस द्वारा कोई विलम्ब किया गया है, तो उस विलम्ब का कोई विपरीत प्रभाव प्रस्तुत याचिका पर नहीं पडेगा।

10. प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या-दो नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि स्वयं याचीगण द्वारा कथित घटना में तथाकथित मोटर साइकिल की कोई उपेक्षा नहीं बताई है जिस कारण विपक्षी संख्या-दो का प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं बनता है। उक्त के अतिरिक्त यह बल दिया गया कि चूँकि कथित मोटर साइकिल की पैकेज पॉलिसी विपक्षी बीमा कम्पनी में कराई गयी है जिसमे पिलियन राइडर कवर नही है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में अंकित बीमा की धनराशि से अधिक राशि याचीगण को बतौर प्रतिकर पाने का अधिकार नहीं है। अपने उक्त तर्क को बल देने हेतु बीमा कम्पनी की ओर से विधि व्यवस्था 2008(3)TAC1(SC) Oriental Insurance Co. Ltd. vs. Sudhakaran K.V. & ors. प्रस्तुत की गयी। मेरे विचार से यह विधि व्यवस्था इस प्रकरण मे लागू नही होती है क्योंकि उस मामले मे पॉलिसी एक्ट ओनली पॉलिसी थी जबकि इस प्रकरण मे पैकेज पॉलिसी है।

11. प्रतिकर से सम्बन्धित प्रकरण में दो वाहनों के मध्य हुई टक्कर में भले ही दोनो वाहनों के चालकों की संयुक्त उपेक्षा रही हो तब भी सम्बन्धित वाहन में बैठे व्यक्ति को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि दोनों वाहनों में से किसी एक वाहन की बीमा कम्पनी से प्रतिकर की याचना कर सकता है। उक्त के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था The Municipal Corporation of Greater Bombay vs. Laxman Iyer and ors.(27.10.2003-SC): MANU/SC/0836/2003 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह

अभिमत व्यक्त किया गया है कि- where there has been no contributory negligence on the part of the victim, the question of apportionment does not arise. Where a person is injured without any negligence on his part but as a result of combined effect of the negligence of two other persons, it is a case of what has been styled by Pollock as injury by composite negligence. प्रस्तुत प्रकरण में मृतका श्रीमती दयावती को तथाकथित मोटर साइकिल पर पीछे बैठा होना तथा प्रश्नगत कार के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सामने से मोटर साइकिल में टक्कर मार दिये जाने के कारण मृतका को मोटर साइकिल से नीचे गिर जाना बताया गया है और इस तथ्य को स्वंय याचीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य साबित किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में मृतका की स्थिति तृतीय पक्ष की है और याचीगण को उपरोक्त दोनो वाहनों में से किसी भी एक वाहन की बीमा कम्पनी से प्रतिकर पाने का अधिकार है। विधि व्यवस्था The General manager United India Insurance Co. Ltd. vs. M. Laxmi & ors.: MANU/SC/8251/2008 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत धरित किया गया है कि- Insurance policy being a statutory policy does not cover the risk of death of, or bodily injury to gratuitous passenger/pillion rider but as per circular dated 02.06.1986 issued by Tarrif Advisory Committee when insurance policy is comprehensive (pakage) policy, insurer liable for compensation on death of pillion rider.

हलाँकि मो. वा. अधिनियम की धारा 163A के अंतर्गत किसी की लापरवाही साबित किया जाना आवश्यक नही है, बस इतना ही आवश्यक है कि मृत्यु मोटर वाहन के प्रयोग के कारण हुई हो फिर भी प्रस्तुत प्रकरण में कथित मोटर साइकिल चालक की संयुक्त उपेक्षा के तथ्य का प्रश्न है तो उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है-

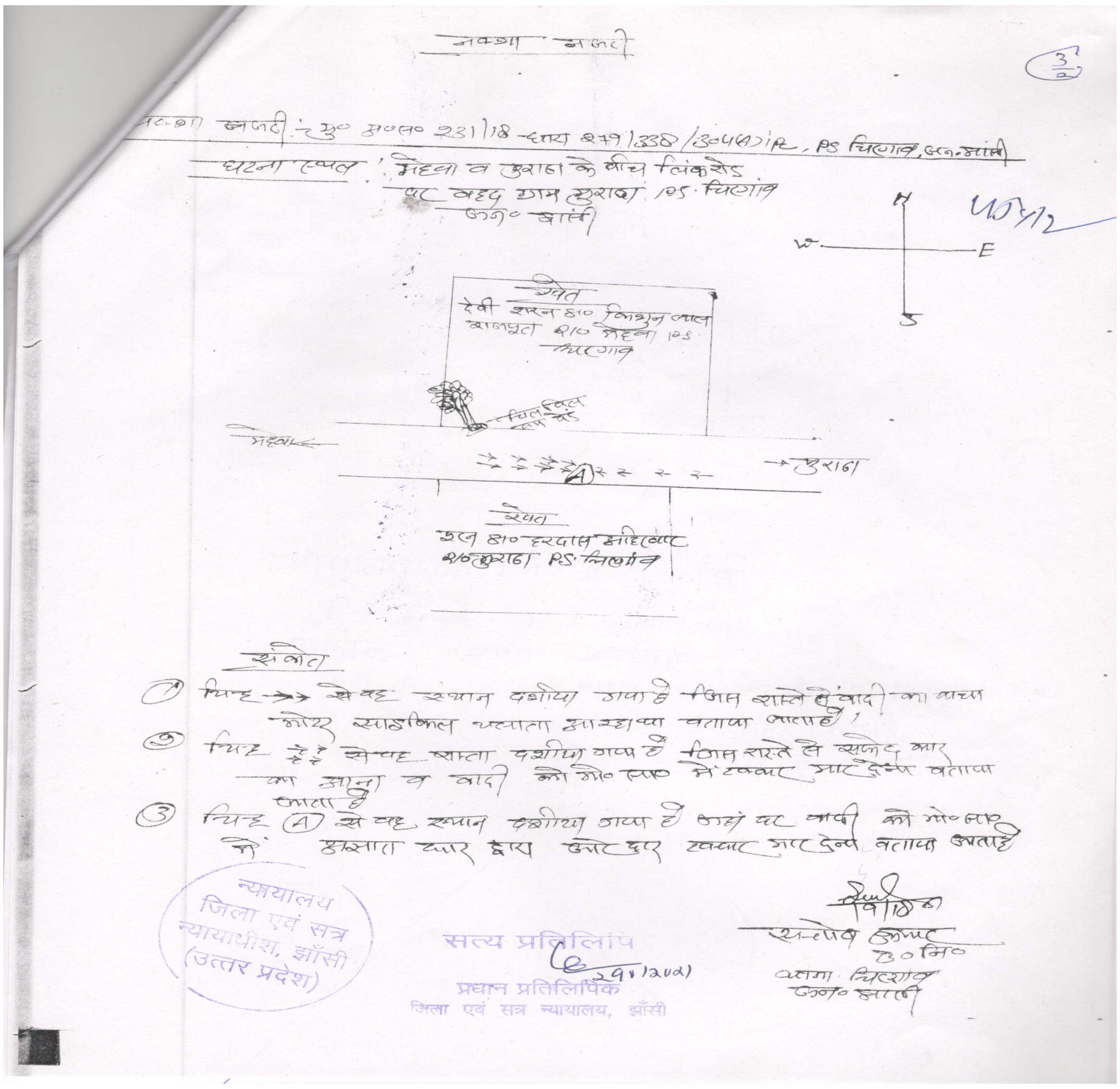

उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त में कथित मोटर साइकिल के चालक अमर सिंह को ग्राम मुराठा से पारीछा की ओर आते समय अपनी साइड पर मोटर साइकिल चलाते हुये आना तथा प्रश्नगत कार को गलत साइड पर आकर सामने से मोटर साइकिल में टक्कर मार दिया जाना दर्शित किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत कार के अज्ञात चालक द्वारा अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये अपनी साइड पर जा रही मोटर साइकिल में सामने से गलत साइड पर आकर टक्कर मार दी थी जिस कारण मोटर साइकिल पर पीछे बैठी

श्रीमती दयावती नीचे गिर गयी और उसको गम्भीर चोटें आयी तथा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-एक सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

12. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या-दो**

पत्रावली पर उपलब्ध कथित मोटर साइकिल संख्या- **UP93AU0795** के चालक अमर सिंह के चालक अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति 31C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञा पत्र दिनाँक 02.01.2007 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 09.11.2022 तक मोटर साईकिल चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी है। उक्त के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है। अत: स्पष्ट है कि कथित घटना की दिनाँक व समय वाहन मोटर साइकिल के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था। तदनुसार वाद विन्दु संख्या-दो सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या-तीन**

पत्रावली पर उपलब्ध कथित मोटर साइकिल संख्या-**UP93AU0795** की नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. से जारी बीमा पॉलिसी की छाया प्रति 32C-1/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बीमा पॉलिसी दिनाँक 10.04.17 से 09.04.2018 तक वैध है,जिसके खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है। अत: स्पष्ट है कि कथित घटना की दिनाँक 30.03.2018 को कथित मोटर साइकिल विपक्षी संख्या-दो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी में विधिवत रूप से बीमित थी। तदनुसार वाद विन्दु संख्या-तीन सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या-चार**

यह वाद विन्दु प्रतिकर निर्धारण से सम्बन्धित है। चूँकि वाद विन्दु संख्या-एक, दो एवं तीन सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं। अत: प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या-दो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी पर है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याचीगण विपक्षी संख्या-दो से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। याचिका में याचीगण ने कथित घटना के समय मृतका श्रीमती दयावती को घरेलू कार्य के अतिरिक्त मजदूरी करके प्रतिमाह ₹3,000 आय अर्जित करना बताया है। उक्त के सम्बन्ध में स्वंय याची संख्या-एक रूप सिंह ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मेरी पत्नी दूसरे के खेत में काम करके मजदूरी करके लगभग ₹5,000 कमा लेती थी और आय का रुपया परिवार पर खर्च करती थी। याचीगण की ओर से मृतका की आय को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिवचन से अधिक आय का साक्ष्य नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में याचिका में वर्णित यह कथन कि कथित घटना के समय मृतका दूसरों के खेत में काम व मजदूरी करके ₹5,000 मासिक आय अर्जित कर लेती थी, स्वीकार योग्य नहीं है। विधि व्यवस्था Rajendra Singh & ors. vs. National Insurance Co. Ltd. & ors: MANU/SC/0486/2020 मे यह धारित किया गया है कि- Daily contribution of housewife should not be less than ₹165. किंतु यह याचिका धारा-163A मो. वा. अधिनियम मे योजित की गई है जिसमे अधिकतम सीमा ₹40,000 की है। ऐसी स्थिति में याचिका में वर्णित आय प्रतिमाह ₹3,000 स्वीकार किए जाने योग्य है। याचिका में कथित घटना के समय मृतका की आयु-32 वर्ष दर्शित की गयी है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की आयु-35 अंकित की गयी है। पत्रावली पर याचीगण की ओर से मृतका की आयु को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतका श्रीमती दयावती की आयु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित आयु के आधार पर 35 वर्ष निर्धारित की जाती है।

15. विधि व्यवस्था National Insurance Co. vs. Pranay Sethi & ors (31.10.2017-SC): MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 31 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु 15 का गुणांक प्रयोज्य है तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40% भविष्य की प्रत्याशा में वृद्दि, मृतक के आश्रितों की संख्या दो से तीन होने की दशा में उसकी आय से 1/3 भाग की कटौती तथा सहचर्य की क्षति के लिए रु.40,000, सम्पदा की क्षति के लिए रु.15,000/- एवं दाह संस्कार के लिए रु.15,000/- निर्धारित किये गये हैं। विधि व्यवस्था Oriental Insurance Company Ltd. vs Maman Singh & Ors. on 6 November, 2017: MAC APPEAL 930/2011 के अनुसार भविष्य की प्रत्याशा में वृद्वि धारा-163A मो. वा. अधिनियम के मामलों मे भी लागू होगी। तदनुसार क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार की जाती है-

वार्षिक आय				36000
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	14400
स्वयं पर खर्च (भाग में)			3	16800
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				33600
गुणक			16	537600
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	577600
संपदा की क्षति			15000	592600
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	607600
कुल क्षतिपूर्ति				**607600**

16. इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि रु.6,07,600 आती है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि पर विधि व्यवस्था National Insurance Co. vs. Mannat Johal & ors. (23.4.2019-SC): MANU/SC/0589/ 2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के आलोक में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक याचीगण को दिलाया जाना तथा विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. & ors. (17.12.2009-SC): MANU/SC/1949/2009 के आलोक में क्षतिपूर्ति की धनराशि की त्रिवर्षीय सावधि जमा से वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

तदनुसार वाद विन्दु संख्या-चार निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी संख्या-एक के विरुद्ध प्रतिकर की धनराशि रु.6,07,600 (छः लाख सात हजार छः सौ) एवं उस पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए के लिए स्वीकार की जाती है। क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी संख्या-दो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का है। विपक्षी संख्या-दो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 30 दिन के अन्दर प्रतिकर की समस्त धनराशि न्यायाधिकरण के कैनरा बैंक के खाता संख्या-92352010008560 (IFSC:CNRB0019235) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। याचीगण संख्या-एक, दो एवं तीन प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि में से क्रमश: 40%, 30% एवं 30% भाग प्राप्त करेंगे, जिसमें से याची संख्या-एक को प्राप्त होने वाली राशि का 50% भाग की तीन वर्ष की FD बनाई जायेगी एवं याचीगण संख्या-दो व तीन की समस्त धनराशि उनके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सावधि जमा मे निवेशित किए जाऐंगे। तदनुसार फार्मल आर्डर तैयार किया जाये।

दिनाँकः13.08.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः13.08.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी